न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 29/2016

उनवान

1. धर्मा पुत्र मान्दू,
2. कोयली पत्नी लाडू,
3. सीताराम पुत्र लाडू,
4. होनी पत्नी पांचू, जाति रावत नि. चाट, राजगढ, नसीराबाद,

—— वादीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. पप्पू पुत्र रोडा,
2. बिरदा,
3. छोटू,
4. चांद
5. प्रताप पि. अज्जा,
6. अशोक,
7. महेन्द्र पि. खेम सिंह,
8. सीता पत्नी अन्ना,
9. फतेह सिंह पुत्र विजेन्द्र जाति रावत नि0 चाट, राजगढ़, नसीराबाद,
10. उप पंजीयक, नसीराबाद,
11. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 9 अनुपस्थित
10 व 11 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 29/5/17

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सरदारपुरा में वादीगण के पिता/पति की कयशुदा खातेदारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख0न0	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
1047	1026	1–7–0	283	0.11
			284	0.11

उपरोक्त भूमि के वंर्किग खसरा नम्बर 1026 रकबा 1–7–0 के खातेदार खेम सिंह पुत्र छगन सिंह से रोडा, बिरदा, छोटू, चांद सिंह, प्रताप पि0 अज्जा से दिनांक 13.02.80 को कय की तथा केता रोडा, बिरदा, छोटू, चांद सिंह प्रताप पि0 अज्जा ने भूमि का बैचान

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

3.11.80 को पांचू, लाडू, धर्मा पि0 मान्दू को कर दिया। उक्त आरजी के क्रेता वादीगण/वारिस है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 283 व 284 को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। अतः वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित विक्रय पत्रों का नामान्तकरण वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में नही हुआ है। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि खेम सिंह के वारिसान के नाम है। वादीगण के ननाम दर्ज किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की विधिक क्रयशुदा है ?

-- वादी

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

-- वादी

3. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अध्किारी है ?

-- वादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये। व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

उपरोक्त भूमि के वंर्किग खसरा नम्बर 1026 रकबा 1-7-0 के खातेदार खेम सिंह पुत्र छगन सिंह से रोडा, बिरदा, छोटू, चांद सिंह, प्रताप पि0 अज्जा से दिनांक 13.02.80 को क्रय की तथा क्रेता रोडा, बिरदा, छोटू, चांद सिंह प्रताप पि0 अज्जा ने भूमि का बैचान 3.11.80 को पांचू, लाडू, धर्मा पि0 मान्दू को कर दिया। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में विक्रेता का नाम दर्ज है। दोनो विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नही हुयी है। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में उपस्थित होकर कोई खण्डन भी नही किया है। विक्रय पत्र पंजीकृत है। जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। राज0 पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा वादीगण/पूर्वज की विधिक क्रयशुदा सिद्व होती है। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 व 3 :-

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण/पूर्वज की विधिक क्रयशुदा सिद्व होती है। हाल खसरा नम्बर 283 रकबा 0.11 व 284 रकबा 0.11 विक्रेता खेम सिंह पुत्र छगना व अन्य खातेदार के नाम दर्ज है। जबकि विक्रय पत्र के अनुसार उक्त आराजी पर खेम सिंह का हिस्सा क्रेता के नाम दर्ज होना चाहिये था। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनपुस्थित रहे है। विक्रेता के खातेदारी अधिकार का अवसान हो गया है। वादीगण दुरूस्ती के अधिकारी है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

--3

उक्तानुसार ग्राम चाट सरदारपुरा के हाल खसरा नम्बर 283 रकबा 0.11 व 284 रकबा 0.11 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर खेम सिंह पुत्र छगना के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

धर्मा बनाम पप्पू

दावा बाबत :-- 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 29/2016
पेश करने की दिनांक – 22.2.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम चाट सरदारपुरा के हाल खसरा नम्बर 283 रकबा 0.11 व 284 रकबा 0.11 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर खेम सिंह पुत्र छगना के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद